सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी–विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल—462 011 (म. प्र.)

दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95, 97, फैक्स : (0755) 2552363, 2552364

क्रमांक / राशिके / मॉनिट / RTE / 2010 / 1587 भोपाल, दिनांक 4-3-2010

प्रति,

जिला परियोजना समन्वयक
जिला शिक्षा केन्द्र,
मध्यप्रदेश।

विषयः—चिन्हित शाला से बाहर बच्चों को दर्ज कराने विषयक।

—0—

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 4 के अनुसार 6 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे बच्चे जो शाला में दर्ज नहीं हैं अथवा जिनकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण नहीं कर पाए हैं उन बच्चों को उनकी उम्र के अनुरूप कक्षा में दर्ज कराना होगा। अतः अतः चिन्हित शाला से बाहर सभी बच्चों को उनकी आयु के अनुरूप कक्षा में सर्वप्रथम दर्ज कराया जायेगा तथा उन बच्चों को उनकी कक्षा के अनुरूप दक्षताऐं प्रदान करने हेतु विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी। यह व्यवस्था पूर्वानुसार ही आवासीय ब्रिज कोर्स, गैर आवासीय ब्रिज कोर्स, मानव विकास केन्द्र अथवा अन्य वैकल्पिक व्यवस्थाओं के माध्यम से की जाएगी। विशेष प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरान्त बच्चों को जिस शाला की जिस कक्षा में उसका नाम लिखा गया था, उस कक्षा में बाद में (मेनस्ट्रीम) अध्ययन कराया जायेगा।

अतः गत वर्ष चिन्हित किये गये समस्त शाला से बाहर बच्वो को जो वर्तमान में आवासीय ब्रिज कोर्स, गैर आवासीय ब्रिज कोर्स, मानव विकास केन्द्र इत्यादि में दर्ज है, उन बच्चों का नाम शाला में दर्ज कराएं। उनकी ब्रिजिंग की कार्रवाई यथावत चलती रहेगी। भविष्य में भी जितने बच्चे चिन्हित होगे, उन सभी बच्चों को शाला में दर्ज कराने के उपरांत विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए।

उक्तानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करे।

(हस्ताक्षर) 5/3/10
आयुक्त
राज्य शिक्षा केन्द्र

पृष्ठा.क. / राशिके / मॉनिट / RTE / 2010 / 1588 भोपाल, दिनांक 4-3-2010

प्रतिलिपि

1. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, गोतम नगर भोपाल।
2. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, अरेरा हिल्स भोपाल।
3. आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग, सतपुड़ा भवन भोपाल।
4. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मध्यप्रदेश।
6. संयुक्त सचालक, लोक शिक्षण संभागीय कार्यालय, मध्यप्रदेश।
7. जिला शिक्षा अधिकारी जिला कार्यालय मध्यप्रदेश।
8. सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग मध्यप्रदेश।

8. सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग मध्यप्रदेश।
9. विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश।
10. बी.आर.सी.सी.।
11. बी.ए.सी.
12. जन शिक्षक, जन शिक्षा केन्द्र मध्यप्रदेश।
13. प्रधानाध्यापक शासकीय माध्यमिक/प्राथमिक शाला मध्यप्रदेश।

4/3/12

आयुक्त
राज्य शिक्षा केन्द्र
भोपाल